भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1942
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों तक योजनाओं के लाभों का प्रसार

1942. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी कार्यक्रमों की स्वैच्छिक प्रकृति को देखते हुए, दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में सूचित करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर राजस्थान (शुष्क क्षेत्र) और केरल (मानसून पर निर्भर फसल क्षेत्र) जैसे राज्यों को स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापन-केन्द्रों में वृद्धि से किस प्रकार लाभ होगा;

(ग) क्या लंबी अवधि तक फसल-जोखिमों की अधिक प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी करने के लिए एआई-संचालित एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) और मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली (विंड्स) का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर में कृषक समुदाय के बीच योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनका प्रसार करने के लिए डीडी क्षेत्रीय केंद्र, डीडी किसान और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से "कृषि विस्तार हेतु मास मीडिया समर्थन" नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित है। इस योजना के तहत, 18 डीडी क्षेत्रीय केंद्रों, आकाशवाणी के 97 एफएम स्टेशनों और डीडी किसान का उपयोग विभागीय योजनाओं, जारी पहलों, नीतिगत निर्णयों, परामर्शिका आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, "केन्द्रित प्रचार और जागरूकता अभियान" के एक हिस्से के रूप में दूरदर्शन (डीडी), ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और प्राइवेट टीवी एवं रेडियो चैनलों के माध्यम से डीएएंडएफडब्ल्यू

योजनाओं की जानकारी ब्रॉडकास्ट एवं टेलीकास्ट करने के लिए ऑडियो-विजुअल स्पॉट का उपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, आउटडोर प्रचार के साथ-साथ देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रचार और जागरूकता फैलाई जाती है। विभाग की किसान कल्याण योजनाओं के विवरण के बारे में बेहतर पहुंच और व्यापक प्रचार के लिए फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, पब्लिक ऐप आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) से (घ) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किसानों को सलाह, फसल नियोजन, फसल बीमा, आपदा प्रबंधन, फसल उपज मॉडलिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग आदि को सुदृढ़ करने के लिए ग्रैनुलर, मानक गुणवत्ता और समय पर उपलब्ध डेटासेट से युक्त एक मजबूत मौसम निगरानी प्रणाली आवश्यक है, चाहे ये शुष्क क्षेत्र हों या मानसून पर निर्भर क्षेत्र। तदनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दीर्घकालिक हाइपर-लोकल मौसम डेटा के सृजन के लिए मौसम सूचना नेटवर्क एवं डेटा प्रणाली (विंड्स) की शुरुआत की है और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग के लिए इसे बढ़ावा दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पीएमएफबीवाई के तहत समय पर और पारदर्शी उपज अनुमान के लिए पायलट अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों द्वारा पाँच मॉडल नामतः सेमी-फिजिकल मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल, फसल स्थिति मॉडल, ऑनसंबल मॉडल (एआई/फसल सिमुलेशन/सेमी-फिजिकल आदि) और फसल प्रदर्शन संबंधी पैरामीट्रिक सूचकांक (अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण) मॉडल की सिफारिश की गई थी। इन पायलटों के निष्कर्षों के आधार पर और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श एवं तकनीकी परामर्श के बाद, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए तथा खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) शुरू की गई है। सरकार ने फसल हानि आकलन में सुधार लाने और किसानों को समय पर बीमा दावों का भुगतान प्राप्त होने के लिए पारंपरिक फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) आधारित उपज अनुमान के साथ-साथ विभिन्न मॉडलों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को लागू किया है। इस पहल के तहत, यस-टेक से प्राप्त उपज को न्यूनतम 30% वेटेज दिया जाना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

*****